



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267077  
CG-DL-E-22102025-267077

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4650]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947

No. 4650]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4779(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मोल्लिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलिन (पीपी) सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोल्लिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलिन (पीपी) सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मोल्लिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलिन (पीपी) सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024 के पैरा 1 के उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:—

“(2) यह तारीख 24 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त होगा।”

[फा.सं. पीसीटी-59011/43/2024-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मोल्लिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलिन (पीपी) सामग्री (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 921(अ), तारीख 26 फरवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 3594(अ), तारीख 23 अगस्त, 2024, का.आ. 5553(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2024 और का.आ. 2788(अ), तारीख 23 जून, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

### ORDER

New Delhi, the 22nd October, 2025

**S.O. 4779(E).**— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2024, namely: -

1. (1) This order may be called the Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Second Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 24<sup>th</sup> day of April, 2026.”

[F. No. PCT-59011/43/2024-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

**Note:** The Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2024 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 921(E), dated the 26<sup>th</sup> February, 2024 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3594(E), dated the 23<sup>rd</sup> August, 2024, S.O. 5553(E), dated the 24<sup>th</sup> December, 2024 and S.O. 2788(E), dated the 23<sup>rd</sup> June, 2025.